Hindi Banking

(Banking System of India)

बैंक एक ऐसी संस्था है, जो लोगों की जमा स्वीकार करता है और इसके बदले साख निर्माण करके अग्रिम ऋण देता है। यह अन्य वित्तीय संस्थाओं से भिन्न है, क्योंकि ये संस्थाएँ जमा और अग्रिम तो स्वीकार कर सकती है, लेकिन साख का सृजन नहीं करती।

बैंक के अर्थ एवं परिभाषा को विभिन्न बैंकिंग एक्ट द्वारा परिभाषित किया गया है

इण्डियन बैंकिंग कम्पनीज (एमेण्डमेण्ट) एक्ट, 1936

''बैंकिंग कम्पनी का तात्पर्य उस कम्पनी से है, जिसका प्रमुख व्यवसाय चालू अथवा अन्य प्रकार के खातों में ऐसी जमा स्वीकार करना है, जो चैक, ड्रफ्ट अथवा ऑर्डर के द्वारा निकाली जा सके।'' एक्ट में उन अन्य कार्यों का भी उल्लेख है, जो उक्त प्रमुख कार्य के साथ बैंकिंग द्वारा किए जा सकते है।

अक्टूबर, 1942 में कम्पनीज एक्ट में इस आशय का संशोधन किया गया कि कोई भी कम्पनी, जो अपने नाम के साथ बैंक, बैंकर अथवा बैंकिंग शब्द का प्रयोग करे, तो वह बैंकिंग कम्पनी मानी जाएगी, भले ही उसका प्रमुख व्यवसाय बैंकिंग कम्पनी के प्रमुख व्यवसाय की श्रेणी में न आता हो।

इण्डियन बैंकिंग कम्पनीज एक्ट, 1949

हमारे देश में स्वतन्त्रता के बाद बैंक सम्बन्धी अधिनियम 'इण्डियन बैंकिंग कम्पनीज एक्ट 1949, में बैंक कीक जो परिभाषा दी गई है, उसमें जमा के रूप में लोगों से कर्ज लेने के लक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। उसमें उल्लिखित परिभाषा इस प्रकार है ''बैंकिंग का अर्थ है कर्ज देने अथवा अन्य प्रकार से काम कमें लाने के लिए जनता से जमा रूप में ऐसी रकम स्वीकार करना, जिसे माँगने पर अथवा अन्य तरीके से लौटाया जाए और जो चेक अथवा माँग पत्र आदि के द्वारा निकाली जा सके।''

भारतीय बैंकिंग प्रणाली

संगठित बैंकिंग प्रणाली को तीन वर्गो में विभाजित किया जा सकता है देश का केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया देष का सर्वोच्च मौद्रिक एवं बैंकिंग प्राधिकार (Monetary and banking Authority) है और देश में बैंकिंग–प्रणाली को नियन्त्रित करने का दायित्व इसी पर है। यह सभी अनुसूचित बैंकों के नकद आरक्षण (Cash Reserve) को अपने पास रखता है, इसलिए इसे 'रिजर्व बैंक' कहा जाता है।

भारत में अनुसूचित बैंकिंग का ढाँचा

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

(केन्द्रीय बैंक एवं सवोच्च मौद्रिक प्राधिकार)

↓

अनुसूचित बैंक

↓

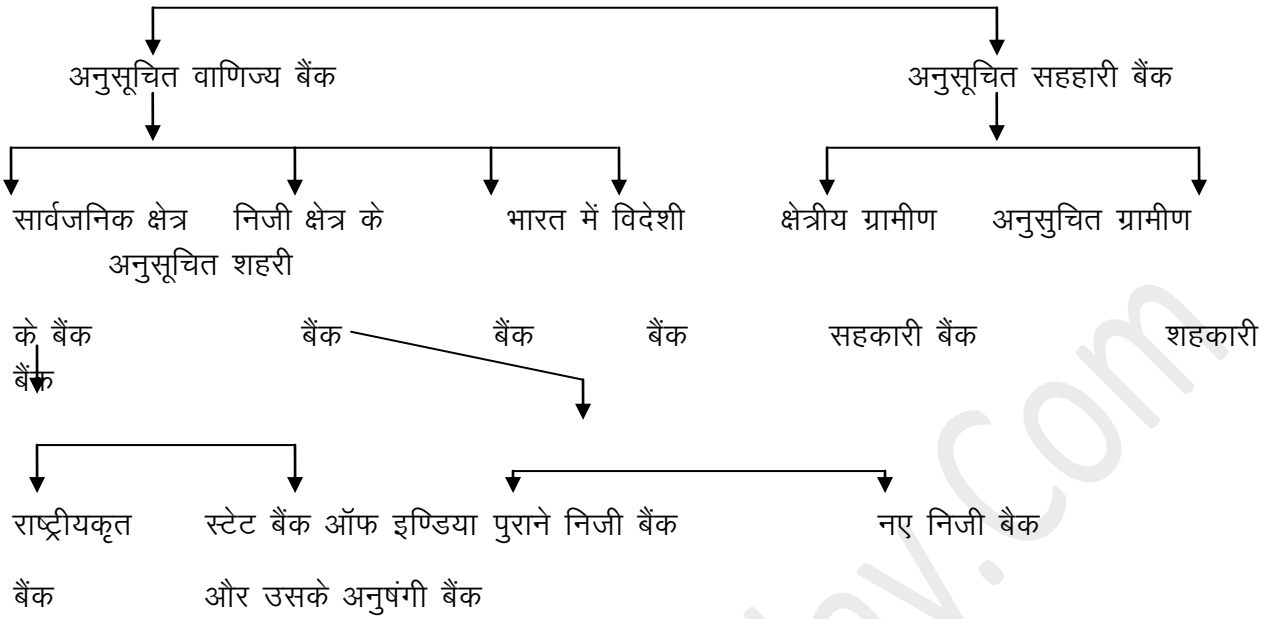

भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत 1 अप्रैल, 1935 को **हिल्टन यंग योजना** के आधार पर की गई थी। उस समय इसकी अधिकृत पूँजी 5 करोड़ थी। 1 जनवरी, 1949 को RBI का **राष्ट्रीयकरण** किया गया। भारत में केन्द्रीय बैंक की स्थापना से सम्बन्धित प्रथम प्रयास **चैम्बरलिन आयोग** (1914) द्वारा किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख गवर्नर कहलाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर एवं डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है तथा इस बैंक का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, इसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई, से 30 जून तक होता है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुम्बई में है।

केन्द्रीय बोर्ड जो मुम्बई में स्थापित है, के अतिरिक्त चार स्थानीय बोर्ड भी है, जिनके मुख्य कार्यालय बम्बई (मुम्बई), कलकता (कोलकाता), मद्रास (चेन्नई) और नई दिल्ली में है। जहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय नहीं है, वहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक रिजर्व बैंक के प्रतिनिध के रूप में कार्य करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना

बैंक में सामान्य प्रबन्ध एवं निर्देशन का कार्य 21 सदस्यों पर आधारित केन्द्रीय निदेशक मण्डल को सौंपा गया। इसमें एक गवर्नर,चार डिप्टी गवर्नर,, दो वित्त मन्त्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नॉमित दस ऐसे निदेशक होते है, जो देश के आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और चार निदेशक स्थानीय बोर्डों (Local Boards) का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नॉमित किए जाते है। स्थानीय बोर्डों के पाँच सदस्य होते है, जो केन्द्र सरकार द्वारा चार वर्षों की अवधि

के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इनमें क्षेत्रीय एवं आर्थिक हितों और सरकारी एवं देशी बैंकों को प्रतिनिधित्व मिलता है।

वित्त मन्त्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी प्रायः भारत सरकार का वित्त सचिव होता है, जो सरकार की इच्छानुसार बोर्ड (मण्डल) में बना रहता है।

रिजर्व बैंक के विभाग

रिजर्व बैंक के निम्नलिखित विभाग हैं

1, **नोट जारी करने वाला विभाग** (Note Issuing Department)

इस विभाग को नोट नासिक में स्थित इण्डियन सिक्योरिटी प्रेस (Indian Security Press) से प्राप्त होता है और यह विभिन्न ट्रेजरी में उसे वितरित करता है। नोट जारी करने के लिए सम्पूर्ण देश को सात क्षेत्रों (Circles) में विभाजित कर दिया गया है।

2, **बैंकिंग विभाग** (Banking Department)

रिजर्व बैंक सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है और यह बैंकों का बैंक भी है। यह विभाग चार विभागों में विभाजित है– राजकीय ऋण, राजकीय लेखा (Public Accounts) , जमानत (Securities) तथा जमा–खाता (Deposit Accounts)।

3, **कृषि साख विभाग** (Agricultural Credit Department)

इस विभाग का काम कृषि–साख के विषय में छानबीन करना है। यह मुम्बई, नई दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई में क्षेत्रीय दफ्तर में स्थित है। इस विभाग के चार हिस्से हैं

(i) वित्त तथा निरीक्षण (Finance and Inspection)
(ii) योजना तथा व्यवस्था (Planning and Organisation)
(iii) स्हकारी प्रशिक्षण और प्रकाशन (Co-operative Training and Publication) तथा
(iv) हथकरघा–वित्त (Handloom Finance)

4, **विनिमय–नियन्त्रण विभाग** (Exchange Control Department)

इस विभाग का निर्माण 1939 ई, में हुआ। इसका काम विदेशी विनिमय यपर नियन्त्रण रखना था। 1947 ई, के सन्नियम ने विनिमय–नियन्त्रण के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक को बहुत अधिकार दिए है, इसकी शाखाएँ नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर में स्थित है।

5, **निरीक्षण विभाग** (Inspection Deivision)

यह विभाग केन्द्रीय बैंक के विभिन्न ऑफिसों की समय–समय पर जाँच करता है।

स्थापना के उद्देश्य (Objective of Establishment)

रिजर्व बैंक की स्थापना मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्ययों की पूर्ति के लिए की गई है।

- बैकिंग संकट रोकने व मुद्रा बाजार में लोच पैदा करने हेतु सभी बैंकों से नकद कोष प्राप्त करके एक दृढ़ केन्द्रीय कोष का निर्माण करना ।
- रूप्ये के आन्तरिक और बाह्य मूल्यों में स्थिरता बनाने का उपाय करना।
- भारतीय मुद्रा व साख–व्यवसाय तथा बैंकिंग व्यवसाय आदि से सम्बन्धित आँकड़े का एकत्रीकरण तथा प्रकाशन।
- विदेशों में मौद्रिक सम्पर्क की स्थापना।
- देश में साख–मुद्रा व मात्रा को उसकी कुल माँग के अनुरूप बनाए रखना।
- देश में बैंकिंग व्यवस्था पर नियन्त्रण और सही दिशा में उसके विकास का प्रयास ।
- कृषि साख सम्बन्धी विभिन्न विषयों का अध्ययन करना तथा प्रत्यक्ष सहायता की व्यवस्था करना ।
- सरकार के बैंकर के रूप में सरकार की ओर से ऋण लेना, भुगतान करना, विदेशी विनिमय का लेन–देन करना तथा सम्बन्धित विषयों पर सरकार को सलाह देना।

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य (Functions of RBI)

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य वर्ष 1934 के रिजर्व बैंक अधिनियम में वर्णित है। रिजर्व बैंक के महत्त्वपूर्ण कार्यों को निम्नलिखित उपशीर्षकों के तहत रखा जा सकता है।

रिजर्व बैंक के कार्य

केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य	**समान्य बैंक के रूप में कार्य**
• नोट निर्गमितकर्त्ता	जमा प्राप्त करना
• सरकार का बैंकर	अल्पावधि ऋण देना
• बैंकों का बैंकर	अल्पावधि ऋण लेना
• विनिमय दर को स्थिर रखना	विपत्रों को भुनाना व क्रय–विक्रय
• साख नियन्त्रण	कृषि विपत्रों का क्रय–विक्रय

- समाशोधन गृह का कार्य
- क्रय–विक्रय
- कृषि साख की व्यवस्था
- औद्योगिक वित्त व्यवस्था
- बिल बाजार का विकास
- प्रशिक्षण व्यवस्था
- खाता खोलना
- आँकड़ों का संकलन व प्रकाशन

विदेशी विनिमय विपत्रों का

मूल्यवान धातुओं का क्रय–विक्रय

बहुमूल्य पदार्थों को सुरक्षित रखना

वश्व बैंक में खाता खोलना

अन्य राष्ट्रों के केन्द्रीय बैंकों में

सामान्य बैंक के रूप में कार्य

रिजर्व बैंक बहुत–से साधारण कार्यों को सम्पादित करता है, जो इसक प्रकार है

(i) रिजर्व बैंक भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से धन प्राप्त करता है तथा इनके आदेशानुसार भुगतान करता है ।

(ii) कृषि –सम्बन्धी बिलों की खरीद–बिक्री करता है, परन्तु उन बिलों की अधिकतम अवधि 15 महीने की होनी चाहिए तथा उन पर दो ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर हों, जिन पर रिजर्व बैंक का विश्वास हो।

(iii) ऐसे विनिमय बिलों तथा शपथ–पत्रों का क्रय–विक्रय करता है, जिनकी अवधि अधिकतम 90 दिनों की हो तथा जिनका भुगतान देश के अन्दर ही होने वाला हो।

(iv)देश की केन्द्रीय तथा राज्य–सरकारों की प्रतिभूतियों की खरीद–बिक्री करता है।

(v) रिजर्व बैंक विदेश की केवल उन प्रतिभूतियों को खरीदता है, जिनकी अवधि अधिकतम 10 वर्ष की हो।

(vi)सदस्य–बैंकों के उन बिलों की भी खरीद–बिक्री या भुनाने का कार्य (Discounting) करता है, जिनका भुगतान 90 दिनों के बाद किसी ऐसे अन्य देश में होने वाला है, जो देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा–कोष (International Monetary Fund) का सदस्य हैं।

(vii) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य–सरकारों को अधिकतम 90 दिनों के लिए कर्ज देता है।

(viii) अपनी शाखाओं पर बैंक–ड्राफ्ट जारी करता है।

(ix)सोना, गहने तथा अन्य बहुमूल्य चीजें सुरक्षित रखता एवं एजेण्ट की भाँति लाभांश वसूलने और ऋणपत्रों का भुगतान करने का कार्य करता है।

(x) अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों (International Bank) से लेन–देन तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा–कोष के सदस्य अन्य देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना भी रिजर्व बैंक का कार्य है।

केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य

BankExamsToday.Com

केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक के कार्य निम्नलिखित है।

नोटों का प्रचालन या निर्गमन (Issue of Notes)

रिजर्व बैंक को विभिन्न मूल्य वर्गों के नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में '1 के नोटों, सिक्कों और छोटे सिक्कों के देशभर में वितरण का कार्य करता है। एक रूपये के सिक्के/नोटों और छोटे सिक्कों को रिजर्व बैंक जारी नहीं करता है।

रिजर्व बैंक ने करेन्सी नोट जारी करने के लिए एक पृथक् प्रचालन विभाग (Issue department) कायम किया हुआ है। प्रचालन विभाग की परिसम्पत्ति और देयता (Assest and Liabilities) को बैंकिंग विभाग की मदों से पृथक् रखा जाता है।

वर्ष 1956 से न्यूनतम आरक्षित निधि प्रणाली के आधार पर नोटों का प्रचालन होता है।

न्यूनतम आरक्षित निधि प्रणाली

नोट के निर्गमन की यह विधि वर्ष 1956 से रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार की गई। वर्तमान समय से नोट जारी करने हेतु इसी प्रणाली को आधार बनाया गया है। इस प्रणाली के अनुसारन प्रचालन विभाग के पास स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण एवं विदेशी ऋणपत्र कुल मिलाकर किसी समय 200 करोड़ के मूल्य से कम नहीं होने चाहिए। इनमें स्वर्ण का मूल्य (धातु तथा मुद्रा मिलाकर) 115 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। इस वर्तमान समर्थन व्यवस्था को **न्यूनतम प्रारक्षण प्रणाली** (Minimum Reserve System) या न्यूनतम आरक्षित निधि प्रणाली कहते है।

भारतीय रूपया का मानक चिन्ह

- भारत सरकार के द्वारा इस चिन्ह को 15 जुलाई, 2010 को स्वीकार किया गया।
- यह चिन्ह देवनागरी लिपि के अक्षर 'र' तथा रोमन लिपि के अक्षर 'R' को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी हुई है।
- यह क्षैतिज रेखा हमारे राष्ट्रीय ध्वज तथा बराबर के चिन्ह को प्रतिबिम्बित करती है।
- ठस चिन्ह को आई आई टी, मुम्बई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर श्री डी, उदय कुमार के द्वारा तैयार किया गया है।

भारत में प्रतिभूति–मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन (Printing of Secutities and Minting in India)

भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है।

छापेखाने (Printing Press)

इण्यिन सिक्योरिटी प्रेस, नासिक (महाराष्ट्र) नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (Indian Security Press) में डाक सम्बन्धी लेखन सामग्री, डाक एवं डाक–भिन्न टिकटों, अदालती एवं गैर–अदालती स्टाम्पों, बैंकों (RBI तथा SBI) के चेकों, बॉण्डों, राष्ट्रीय बचत पत्रों , पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, इन्दिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों आदि के अलावा राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय निगमों आदि के प्रतिभूति पत्रों की छपाई की जाती है।

सिक्योरिटी प्रिण्डिंग प्रेस, (हैदराबाद) इसकी स्थाना दक्षिण राज्यों की डाक लेखन सामग्री की माँगों को पूरा करने व पूरे देश की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की माँग को पूरा करने के लिए वर्ष 1982 में की गई थी, ताकि भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड के उत्पादन की अनुपूर्ति की जा सके।

बैंक नोट प्रेस, देवास (मध्य प्रदेश) देवास स्थित बैंक नोट प्रेस 'र' 20, 50, 100 और 500 के उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक नोट प्रेस का स्याही का कारखानाप प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण भी करता है।

शाहबनी (पं, बंगाल) तथा मैसूर (कर्नाटक) भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण लिमिटेड दो नए एवं अत्याधुनिक करेन्सी नोट प्रेस मैंसूर (कर्नाटक) तथा साल्बोनी (पं, बंगाल) में स्थापित किए गए है। यहाँ RBI के नियन्त्रण में करेन्सी नोट छापे जाते है। इन नए मुद्रणालयों में वर्ष 1998–99 तक 10000 मिलियन करेन्सी नोटों का अतिरिक्त वार्षिक मुद्रण का अनुमान था। देवास तथा नासिक रोड स्थित करेन्सी नोट प्रेस में प्रतिवर्ष 6000 मिलियन करेन्सी नोटों का मुद्रण होता है।

सरकार का बैंकर (Banker of Government)

रिजर्व बैंक सरकार का बैंकर एवं परामर्शदाता है तथा केन्द्र सरकार एवं सभी राज्य की सरकारों का बैंकिंग प्रतिनिधि है। वह भारत सरकार का बैंक व्यापार करता है अर्थात् भारत सरकार के लिए रूपया स्वीकार करता है। उसके रूपयों की अदायगी करता है तथा प्रेषण (Remettance) एवं अन्य बैंकिंग क्रियाएँ (Banking Operations) भी करता है। यह सरकार के लिए नए सार्वजनिक ऋण (Public debt) का प्रबन्ध एवं सरकार के वास्ते 90 दिन के लिए अर्थोपाय अग्रिम (Ways and means advances) देता है।

बैंकों का बैंकर एवं अन्तिम ऋणदाता (Banker of Bank and Last Lender of Crediter)

रिजर्व बैंक को बैंकों के बैंकर का कार्य करना पड़ता है। बैंकों को अपनी समग्र जमा देयता (Aggregate Deposit Liabilities) 3% रिजर्व बैंक के पास नकद प्रारक्षण (Cash Reserve) में रखना होता है। आवश्यकतानुसार न्यूनतम नकद आरक्षण की मात्रा रिजर्व बैंक द्वारा बदली जा सकती है।

आवश्यकता के समय या विपत्ति काल में अनुसूचित बैंक अपने विनिमय–पत्रों का बट्टा करवाकर वित्तीय निभाव (Financial Accommodation) प्राप्त कर सकते है।

साख नियन्त्रण (Control of Credit)

रिजर्व बैंक साख के नियन्त्रण का कार्य करता है अर्थात् इसे भारत में अन्य बैंकों द्वारा निर्मित साख की मात्रा पर नियन्त्रण करने का अधिकार प्राप्त है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या तो बैंक दर में परिवर्तन कर सकता है या खुले बाजार की क्रियाओं (Operations) का प्रयोग कर सकता है वर्ष 1956 के पश्चात् रिजर्व बैंक द्वारा चयनात्मक साख नियन्त्रण (Selective Credit Control) के उपायों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा है।

रिजर्व बैंक साख के नियन्त्रण व नियमन हेतु दो प्रकार के उपायों का प्रयोग करता है परिमाणत्मक साख नियन्त्रण एवं गणावत्मक साख नियन्त्रण।

परिमाणात्मक साख नियन्त्रण (Quantitative Credit Control)

रिजर्व बैंक के साख के नियन्त्रण व नियमन हेतु परिमाणत्मक साख नियन्त्रण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं

बैंक दर में परिवर्तन (Change in Bank Rate)

सामान्यतः देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति पर नियन्त्रण हेतु बैंक दर में वृद्धि की जाती है और मुद्रा संकुचन की स्थिति में बैंक दर में कमी की जाती है। बैंक द रवह दर है जिस दर पर केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उनकी प्रथम श्रेणियों की प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण प्रदान करते हैं।

खुले बाजार की क्रियाएँ (Open-Market-Operations)

जब केन्द्रीय बैंक बाजार में प्रतिभूतियों, ऋण–पत्रों और बिलों का विक्रय करता है, तो बाजार में मुद्रा की मात्रा में कमी आ जाती है। जिससे साख का सन्तुलन होता है और जब इन सब का क्रय किया जाता है तो बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और साख का विस्तार होता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप को खुले बाजार की क्रियाएँ कहते हैं।

नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio CRR)

अनुसूचित बैंकों को अपने पास जमाओं (Deposits) का कुछ निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में रखना अनिवार्य किया गया है, जिसे CRR कहा जाता है।

इस अनुपात म्रें वृद्धि के फलस्वरूप बैंकों को अपेक्षाकृत अधिक राशि रिजर्व बैंक के पास आरक्षित रखनी होती है। अतः उनके पास तरलता (नकद कोष) में कमी हो जाती है, जिसके चलते उनकी ऋण प्रदान करने की क्षमता में कमी आ जाती है। रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार अनुसूचित बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का 3% रिजर्व बैंक के पास जमा करना अनिवार्य है ओर इस राशि को रिजर्व बैंक बढ़ाकर 15% तक कर सकता है।

सांविधिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio. SLR)

बैंको को अपने पास कुल जमाओं (Deposits) का कुछ अनुपात तरल रूप में (स्वर्ण अथवा अनुमोदित प्रतिभूतियाँ मुख्यतः सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में) रखना आवश्यक होता है। इसे सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) कहते हैं।

बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार यह अनुपात 25–40% की सीमाओं में ही रखा जा सकता है, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के अनुसार, जनवरी 2007 के लिए सांविधिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio, SLR) की न्यूनतम सीमा समाप्त कर दी गई है। सांविधिक तरलता अनुपात का प्रावधान बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 में है।

रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित महत्त्वपूर्ण दरें

बैक दर (Bank Rate) जिस दर पर केन्द्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है अथवा स्वीकार्य प्रतिभूतियों पर ऋण देता है, उसे बैंक दर कते है। बैंक दर में परिवर्तन करके RBI देश में साख की मात्रा को प्रभावित कर सकता है।

रिजर्व बैंक के अन्य कार्य

उपरोक्त विशेष कार्यों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया निम्नलिखित अन्य कार्य भी करता है

- रिजर्व बैंक निर्यात उद्योगों को ऋण भी देता है। ये ऋण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में दिए जाते है।
- बैंको का बैंक होने के कारण रिजर्व बैंक समाशोधन गृह का कार्य भी करता है अर्थात् यह बैंकों के आपसी लेन–देन सम्बन्धित क्रियाकलापों का निपटान केन्द्र भी है।
- **मुद्रा परिवर्तन** बैंक बड़े नोटों के बदले छोटे नोट तथा छोटे नोटो के बदले सिक्के देने का कार्य भी करता है।
- **सूचना प्रकाशन** रिजर्व बैंक मुद्रा, साख वित्त, कृषि, तथा औद्यौगिक उत्पादन सम्बन्धी आँकड़े इकट्ठे करता है तथा उनके आधार पर बनी रिपोर्टों के प्रकाशन का भी दायित्व निभाता है । रिजर्व बैंक का मासिक बुलेटिन महत्त्वपूर्ण आर्थिक सूचनाएँ व आँकड़े भी देता है।
- बैंकिग विकास हेतु रिजर्व बैंक ने कई प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले है जहाँ प्रतिभाशाली बैंकर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है।
- बैंकिंग ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना वर्ष 1954 में मुम्बई में हुई, जहां बैंकिंग अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। पुणे में कृषि बैंकिंग कॉलेज व चेन्नई में स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज की भी स्थापना की गई है।

  भारत में बैंकिंग का प्रारम्भ एवं विकास (Origin and Development of Banking in India)
  भारत में बैंकिंग प्रणाली किसी–न–किसी रूप में प्राचीन काल से ही मौजूद रही है। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व तक यह व्यवस्था संगठित रूप में नहीं थी। यद्यपि बैंकिंग से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलाप किए जाते थे,।

BankExamsToday.com

स्त्रहवीं शताब्दी में अंग्रेजों के भारत आने पर स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली का अन्त होना शुरू हो गया। मेसर्स एलेक्जेण्डर एण्ड कम्पनी ने 1770 ई, में द बैंक ऑफ हिन्दुस्तान के नाम से पहली यूरोपियन बैंक की स्थापना की। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विकास को निम्न कालक्रम के अन्तर्गत समझा जा सकता हैः–

1806 ई, से 1860 ई, तक

देश में निजी अंशधारियों द्वारा तीन प्रेसीडेन्सी बैंकों 1806 ई, में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 ई, में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 ई, में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। यह तीनों बैंक निजी शेयरहोल्डरों (विशेष रूप से विदेशी व्यक्यिों) के बैंक थे तथापि इन तीनों बैंकों की शेयर पूँजी में सरकार का भी कुछ हिस्सा था। अतः सरकार इन तीनों बैंको पर अपना नियन्त्रण रखती थी। इन बैंकों को सरकारी बैंको के सभी अधिकार प्राप्त थे, किन्तु 1862 ई, के बाद भारत सरकार ने इन बैंको से नोट जारी करने का अधिकार वापस ले लिया।

1860 ई, से वर्ष 1913 ई, तक

1860 ई, में सबसे पहले सीमित देयता या दायित्व (Limited Liability) को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई, जिससे संयुक्त पूँजी वाले बैंकों की स्थापना हुई। 1865 ई, में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। सीमित देयता के आधार पर वर्ष 1881 में स्थापित 'अवध कॉमर्शियल बैंक' भारतीयों द्वारा स्थापित संचालित पहला बैंक था। पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक 'पंजाब नेशनल बैंक ' (1894) था। बैंक ऑफ इण्डिया (वर्ष 1906) बैंक ऑफ बड़ौदा (वर्ष 1909) और सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (वर्ष 1911) इण्डियन बैंक (1907 ई,), पंजाब एण्ड सिंन्ध बैंक (1908 ई,) तथा बैंक ऑफ मैसूर (1913 ई,) की भी स्थापना इस अवधि में की गई।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Banks)

भारत में बैंकों का सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय भारत सरकार द्वारा किया गया। चूँक वाणिज्यिक बैंक दूसरी निजी संस्थाओं की तरह स्वलाभ की प्रेरणा से ही व्यवस्था कर रहे थे, जिससे एकाधिकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिल रहा था व आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण हो रहा था, इस प्रक्रिया का दुष्परिणाम यह हुआ कि प्राथमिक क्षेत्र को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा तथा समुचित मात्रा में ऋण नहीं मिला जससे वे विकास की दौड़ में पीछे छूट गए।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर वर्ष 1968 में बैंकों के लिए भारत सरकार द्वारा दो व्यवस्थाएँ की गई

- बैंकिंग अधिनियम का निर्माण
- राष्ट्रीय साख परिषद् की स्थापना

सामाजिक नियन्त्रण की इस नीति के तहत यह नियम बनाया गया कि बैंको की परि–सम्पत्तियों के निजी हाथों में रहने के बावजूद उनकी कार्यप्रणाली और व्यवस्था का उत्तरदायित्व सरकार के पास रहेगा साथ में यह व्यवस्था भी की गई कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंको को मुआवजा देकर सरकार उनका अधिग्रहण कर लेगी। सामाजिक नियन्त्रण की इस नीति का प्रभाव बहुत ही अल्पकालिक सिद्ध हुआ। अतः **19 जुलाई, 1969** को उन 14 वाणिज्यिक बैंको का राष्ट्रीयकारण कर दिया गया, जिनकी जमा राशि **'र' 50 करोड़** या उससे अधिक थी, जो निम्नलिखित है।

- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
- बैंक ऑफ इण्डिया
- इलाहाबाद बैंक
- सिण्डीकेट बैंक
- यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक
- इण्डियन बैंक
- देना बैंक

पंजाब नेशनल बैंक
केनरा बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
इण्डियन ओवरसीज बैंक।

पुनः **15 अप्रैल, 1980** को **6 वाणिज्यिक बैंको का राष्ट्रीयकरण** किया गया, जिसकी जमा राशि 'र' 200 करोड़ या उससे अधिक थी, जो इस प्रकार है।

- आन्ध्रा बैंक
- पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक
- विजया बैंक

कॉरपोरेशन बैंक
ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
न्यू बैंक ऑफ इण्डिया ।

4 सितम्बर, 1993 को न्यू बैंक ऑफ इण्डिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 हो गई। 1 अक्टूबर, 2004 को IDBI बैंक का निगमीकरण करके उसे एक वाणिज्यिक बैंकिंग कम्पनी का दर्जा दे दिया गया। अब **राष्ट्रीयकृत बैको की संख्या 21** हो गई है। सबसे नया राष्ट्रीय बैंक भारतीय महिला बैंक है, जिसका केन्द्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है।

Important Facts

- आधुनिक बैंको की शुरूआत इटली में **बैंक ऑफ वेनिस** की स्थापना के साथ 1157 ई, से मानी जाती है, इसके पश्चात **बैंक ऑफ बार्सिलोना** की स्थापना 1401 ई, में हुई।
- हॉलैण्ड में **बैंक ऑफ एम्सटर्डस** की स्थापना 1609 ई, में हुई जिसे 17वीं शताब्दी का महान् बैंक माना जाता है,
- आधुनिक बैंकिंग की वास्तविक विकास की शुरूआत 1694 ई, में **बैंक ऑफ इंग्लैण्ड** की स्थापना के साथ हुई। यह बैंक आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की सबसे प्राचीन इकाई माना जाता है।
- बैंकिंग क्षेत्र में संयुक्त पूँजी वाली कम्पनियों का प्रवेश 18वीं शताब्दी में हुआ। यहीं से बैंकिंग विकास की वैश्विक प्रक्रिया प्रारम्भ होती है।

अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank)

अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) ऐसे बैंक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की अनुसूची में 1934 के कानून के अधीन दर्ज किए गए है। इन बैंकों की परिदत्त पूँजी (Paid-up Capital) और रिजर्व पूँजी **'र' 25 लाख**

से अधिक होती है और उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक को इस बारे में सन्तुष्ट करना पड़ता है कि इनका कार्यकलाप जमाकर्ताओं के हितों के अनुरूप किया जा रहा है।

सभी वाणिज्य बैंक भारतीय या विदेशी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य सहकारी बैंक अनुसूचित बैंक हैं। इसके साथ ही अनुसूचित बैंक कुछ सुविधाओं के भी अधिकारी होते है, ये रिजर्व बैंक कसे 'बैंक दर' पर ऋण प्राप्त करने के अधिकृत होते है और इन्हें 'समाशोधन गृह' की सदस्यता भी प्राप्त रहती है। अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक की प्रथम श्रेणी की विनियम पत्रों की पुनर्कटौती की सुविधा भी मिलती है।

गैर–अनुसूचित बैंक (Non – Scheduled Bank)

ऐसे बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है, गैर–अनुसूचित बैंक कहलाते है। इनकी चुकता पूँजी तथा रक्षित कोष दोनों की धनराशि **'र' 5 लाख से कम** होती है। इन बैंको को भी सांविधिक नकद कोष शर्तों को मानना पड़ता है पर ये इस कोष को रिजर्व बैंक के पास रखने हेतु बाध्य नहीं है। प्रायः ये बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेने के अधिकारी नहीं होते पर कुछ विशेष परिस्थितियों में रिजर्व बैंक इन्हें उधार दे सकते हैं।

वाणिज्यिक बैंक (Commercial Bank)

वाणिज्यिक बैंक ऐसे बैंक को कहा जाता है, जो बचतें एकत्र करते है और उन्हें बड़ी तथा छोटी औद्यौगिक एवं व्यापारिक इकाइयों को देते हैं तथा मुख्यतः इनकी कार्यकारी पूँजी की आवश्यकता को पूरी करती है। 1969 के पश्चात् वाणिज्य बैंकों को राष्ट्रीयकृत या सार्वजजिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्रों के बैंकों में वर्गीकृत किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा इसके अनुषंगी बैंक (Associated Banks) एवं अन्य राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। निजी क्षेत्र के बैंको में थोड़े से भारतीय अनुसूचित बैंक, जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था और में कार्य करने वाले कुछ विदेशी बैंक है, जो आमतौर पर विदेशी मुद्रा बैंक (Foreign Exchange Banks) भी कहे जाते है॥

वाणिज्यिक बैंकों के कार्य (Functions of Commercial Banks)

व्यापाारिक बैंक के निम्नलिखित कार्य है

जमा स्वीकार करना (Received Deposits)

बैंकों का प्रमुख कार्य है जनता से जमा स्वीकार करना, इन जमाओं के माध्यम से बैंक बचतों (Savings) को प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं। इन जमा बचतों पर जमाकर्ता बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है। बैंक जमाकर्ताओं को उनकी सुविधानुसार निम्नलिखित प्रकार के खातों की सुविधा उपलब्ध कराता है।

चालू खाता (Current Account)

इस खाते में जमा करने वालों को अधिकार है कि वे जब कभी चाहें, स्वेच्छा से रकम की निकासी एवं जमा कर सकते है, इसलिए अमेरिका में इसे माँग जमा भी कहा जाता है। बैंक इस प्रकार के खातों पर जमा हेतु कोई ब्याज नहीं देते एवं एक निश्चित राशि से कम जमा पर जमाकर्ता से वसूल करते है।

स्थायी खाता (Fixed Account)

अमेरिका में इसे मियादी जमा (Time deposist) कहा जाता है। इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए रकम जमा की जाती है। जितने समय के लिए रकम जमा की गई है, उतना समय बीत जाने पर ही निकासी हो सकती है। निश्चित अवधि के भीतर ही निकासी करना आवश्यक हो जाता है, तब स्थायी जमा की जमानत पर कर्ज मिल जाता है। खाता पहले बन्द करने पर जिस शर्त पर रूपया जमा किया गया था, उसका पालन नहीं होता। ब्याज उस समय जो रहता है, वहीं मिलता है।

नकद साख खाता (Cash Credit Account)

यह एक ऋण खाता है। इस खाते के अन्तर्गत बैंक खाताधारी को एक निश्चित मात्रा तक ऋण प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसी सीमा के अन्दर ऋणी अपनी आवश्यकतानुसार बैंक से रूपया लेता है और जमा भी करता है। ब्याज उसी राशि पर वसूल किया जाता है, जो वास्तव में ऋणी के पास रती है।

गृह–बचत खाता (Home Saving Account)

इस खाते के अनुसार बैंक में रूपया जमा करने हेतु जमाकर्ता के घर पर एक गुल्लक रख दिया जाता है, जिसमें समय–समय पर घर के व्यक्ति छोटी–छोटी रकम उसमें डालते रहते हैं, एक निश्चित अवधि के बाद उसे बैंक में खोला जाता है तथा प्राप्त राशि को जमाकर्ता के खाते में जमा कर दिया जाता है। इस खाते पर ब्याज की दर बहुत कम है पर छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने का यह एक अच्छा तरीका है।

बचत खाता (Saving Account)

इस प्रकार का खाता प्रायः उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है, जो कभी–कभी तथा बहुत छोटी–छोटी मात्राओं में रूपया जमा करना या निकालना चाहते है। बचत खाता मुख्यतः निश्चित एवं कम आय वाले गृहस्थों की सुविधा के लिए तथा उनमें धन संचय की प्रवृति जाग्रत करने के लिए खोला जाता है।

इस प्रकार के खातों में से कितनी बार रूपया निकाला जा सकता है, इसकी संख्या निश्चित होती है। इसमें भी जमा की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। इस खाते में भी रकम जमा करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, लेकिन अधिकतम सीमा निश्चित है।

आवर्ती जमा खाता (Recurring Deposit Account)

इस प्रकार के खातों में, एक निश्चित राशि प्रतिमास, एक निश्चित अवधि के लिए जमा कराई जाती है, बिना किसी असाधारण परिस्थिति के इसमें से रकम को, निश्चित अवधि के पूर्ण होने से पहले निकाला नहीं जा सकता। इन पर दिया जाने वाला ब्याज, जमा खाते की तुलना में अधिक होता है।

अन्य प्रकार के बैंक (Other Types of Bank)

अन्य प्रकार के बैंकों का विवरण इस प्रकार है।

BankExamsToday.com

कृषि बैंक (Agricultural Bank)

कृषि व्यवसाय का स्वरूप व आवश्यकताएँ अन्य व्यवसायों से भिन्न होती है। अतः कृषि अर्थ प्रबन्धन हेतु विशेष प्रकार के बैंकों की आवश्यकता पड़ती है। किसानों की वित्तीय आवश्यकताएँ भी अल्पकालीन व दीर्घकालीन दो वर्गो में बाँटी जा सकती है। अतः भारत में कृषि बैंकों का विकास भी दो स्तरों पर हुआ है, कृषि सहकारी बैंक (अल्पकालीन साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु) व भूमि विकास बैंक (दीर्घकालीन ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु)।

डाक घर बचत बैंक (Post Office Savings Bank)

डाकघर बचत बैंक जनता की अल्प बचतों को जमा करके उन पर ब्याज प्रदान करते है।

महाजन (Bankers)

म्हाजन या साहूका वह व्यक्ति होता है जो अपने ग्राहकें को समय–समय ऋण प्रदान करता है। परन्तु न तो जमाएँ स्वीकार करता है एवं न ही हुण्डियों में व्यवसाय करता है।

औद्यौगिक बैंक (Industrial Bank)

ये वे बैंक हैं जो उद्योग धन्धों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते है, दीर्घकालीन ऋण प्रबन्धन इन बैंकों की विशेषता है। इसके अतिरिक्त ये बैंक वृहद औद्यौगिक फर्मो के ऋण –पत्र, बॉण्ड्स व अंशों को बिकवाने में सहायता और उनके ऋण–पत्रों की हामीदारी (Under writing) में भी मदद करते है। पश्चिमी देशों में औद्योगिक बैंकों का महत्त्वपूर्ण स्थान है, इन देशों में अधिकांश बैंक ही है। ये बैंक समान्यतः दीर्घकालीन निक्षेप (Long Time Deposits) ही स्वीकार करते है।

विदेशी विनिमय बैंक (Foreign Exchange Bank)

विदेशी विनिमा विपत्रों का क्रय–विक्रय तथा देशी मुद्रा को अन्य देशें की मुद्राओं में परिवर्तित करने वाला बैंक विदेशी विनिमय बैंक या विनिमय बैंक कहलाता है।

ये विशेष प्रकार के बैंक होते है, जो केवल विदेशी–व्यापार का अर्थ–प्रबन्धन (Finance) करते है, इनका मुख्य कार्य विदेशी विनिमय–बिलों के क्रय–विक्रय द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों को करना होता है। किसी देश के निर्यातकर्ता अपने माल का भुगतान अपने ही देश की मुद्रा के रूप में स्वीकार करते है। अतः एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की समस्या उत्पन्न होती है, विदेशी विनिमय बैंक इसी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करते है। ये बैंक अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान प्रतिभूतियों का आयात–निर्यात तथा अग्रिम विनिमय (Forward Exchange) व्यापार के कार्य भी करते है। ये बैंक विदेशी विनिमय–दरों में होने वाले भारी उतार–चढ़ाव को भी रोकते है और इस प्रकार व्यापारियों को अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम (risk) से बचाते है

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (State Bank of India)

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 1 जुलाई, 1955 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया के राष्ट्रीयकरण के बाद स्थापित किया गया। अगस्त, 1951 में RBI ने ग्रामीण साख व्यवस्था की जाँच करने के लिए गोरवाला समिति नियुक्त की थी, जिसने वर्ष 1954 में प्रस्तुत अपनी सिफारिशों में इम्पीरियल बैंक की कड़ी आलोचना की थी।

1, जुलाई, 1955 से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने अपना कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (SBI) का केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई, में स्थित है। इसके 13 प्रधान कार्यालय मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, चण्डीगढ़, पटना, गुवाहाटी तथा बंगलुरू में है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक की 14816 शाखाएँ हैं (2013) जिनमें से 66% ग्रामीण व अर्द्ध–शहरी इलाकों में केन्द्रित है।

SBI

प्रकार	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ
स्थापना	1 जुलाई, 1956
मुख्यालय	मुम्बई
अध्यक्ष	अरून्धति भट्टाचार्य
उत्पाद	क्रेडिट कार्ड, कॉर्पोरेट बैंकिंग, वित्तीय, बीमा , विनिवेश बैंकिंग, लोन स्थावर–प्रबन्धन
राजस्व	लगभग 37 b $ ('र' 200600 करोड़)
लाभ	लगभग 3,3 b $ ('र' 18000 करोड़)
स्वामित्व	भारत सरकार
विशेष	**भारत के व्यापारिक बैंकिंग उद्योग में 20 % से अधिक हिस्सेदारी ।**

शेयरधारिता

भारत सरकार की SBI में लगभग 62% की हिस्सेदारी है तथा भारतीय जीवन बीमा निगम, SBI का सबसे बड़ा नॉन–प्रमोटर शेयरधारक है, जिसकी 10,9% शेयर धारिता है।

शेयरधारक	शेयरधारिता
भारत सरकार	62.3%
बीमा कम्पनियाँ	11,9%

BankExamsToday.Com

विदेशी संस्थागत निवेशक	9,8%

स्टेट बैंक के कार्य

यद्यपि स्टेट बैंक देश का केन्द्रीय बैंक नहीं है तथापि उन सभी स्थानों पर केन्द्रीय बैंक का ही कार्य करता है, जहाँ पर रिजर्व बैंक की अपनी शाखाएँ नहीं है। इस नाते स्टेट बैंक दो महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करता है।

1, सरकार के बैकर के रूप में कार्य

2, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य

इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक व्यापारिक बैंकों को धन स्थानान्तरण सम्बन्धी सस्ती सुविधाएँ भी प्रदान करता है।

स्टेट बैंक के निषिद्ध कार्य

स्टेट बैंक के कुछ कार्यो को निषिद्ध किया गया है,, जो इस प्रकार है

1, वर्ष 1957 में किए गए एक संशोधन के अनुसार स्टेट बैंक उद्योग –धन्धों को उनकी सम्पति के आधार पर 7 वर्ष की अवधि के लिए ऋण प्रदान कर सकता है।

2, स्टेट बैंक न तो ऐसे बिलों की पुनर्कटौती कर सकता है न ही उनके आधार पर ऋण दे सकता है, जिनकी परिपक्वता की अवधि (Periond of maturity) 5 महीने की होती है।

3, स्टेट बैंक अपने कार्यालयों के अतिरिक्त किसी प्रकार की अचल सम्पति नहीं खरीद सकता।

4, रिजर्व बैंक की भाँति स्टेट बैंक कृषि बिलों को विशेष रियायत प्रदान करता है। कृषि बिलों की परिपक्वता की अवधि 15 महीने तक की हो सकती है।

5, स्टेट बैंक किसी व्यक्ति अथवा फर्म को पूर्व निश्चित सीमा से अधिक न तो ऋण दे सकता है और न ही उसके बिलों की पुनर्कटौती कर सकता हैं ।

6, स्टेट बैंक उन बिलों की पुनर्कटौती नहीं कर सकता जिन पर कम से कम दो अच्छे हस्ताक्षर न हों ।

SBI की उपलब्धियाँ (Achievements of SBI)

- बैंकिंग सुविधाओं का विकास (ग्रामीण व अति पिछड़े इलाकों तक)
- छोटे–छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता
- ग्रामीण साख की व्यवस्था
- पट्टा व्यवसाय (Leasing Business) में जनता के हितों की रक्षा

- विदेशी विनिमय व्यवस्था

विदेश में उपस्थिति

35 देशों में SBI की लगभग 190 शाखाएँ है, जिनमें से कुछ प्रमुख देश निम्नलिखित है।

एशिया में रूस, इजरायल, ईरान, बहरीन, ओमान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, चीन, हाँगकाँग,

फिलीपीन्स, सिंगापुर, जापान।

यूरोप में ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, टर्की।

उत्तरी अमेरिका कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका (न्युयॉर्क, शिकांगों, केलिफोर्निया) बहामास्क।

अफ्रीका मिस्त्र, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका , मॉरीशस।

ऑस्ट्रेलिया (सिडनी

SBI की गैर–बैंकिंग सहायक कम्पनियाँ

- SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड
- SBI फण्ड मैनेजमेण्ट प्राइवेट लिमिटेड
- SBI फैक्टर व कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
- SBI कार्ड व पेमेण्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
- SBI डी एफ एच आई (DFHI) लिमिटेड
- SBI लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
- SBI जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी

SBI के नरा 27000 से ज्यादा ATM's है। जम्मू और कश्मीर के द्रास जिले में ATM खोलने वाला यह पहला बैंक है (जुलाई , 2012)।

स्टेट बैंक : ग्रामीण साख व्यवस्था

स्टेट बैंक ने ग्रामीण साख हेतु विशेष व महत्त्वपूर्ण कदम उठाए है जो निम्नलिखित है।

- सहकारी बैंकों से सम्बन्धित साख समितियों को ऋण ।
- केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों के ऋण – पत्रों में पूँजी निवेश व ऋण–पत्रों के आधार पर ऋण की व्यवस्था।

BankExamsToday.Com

- कृषि हेतु अल्पकालीन के साथ दीर्घकालीन साख की भी व्यवस्था ।
- भारत व राज्य सरकारों को लाइसेन्सी गोदाम स्थापित करने में सहायता व इन गोदामों में रखी कृषि उपज के आधार पर कृषकों को ऋण प्रदान करना।
- स्हकारी बैंकों को सहकारी–प्रतिभूतियों के आधार पर ऋणप व अधिम मात्र 3 % के ब्याज पर देता है।
- कृषि हेतु रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- सहकारी वित्तीय संस्थाओं को धन के स्थानान्तरण की निःशुल्क सुविधा प्रदान करता है।
- भारत सरकार के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम व प्रधानमन्त्री के 20–सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित दो वर्ग में विभाजित की गई है।

टीयर (Tier I)

यह पूँजी सर्वाधिक स्थायी होती है तथा अनपक्षित हानियों के विरूद्ध तत्काल सहायता के रूप में उपलब्ध रहती है। इसे मुध्य पूँजी या Car Capital भी कहते है।

ठसके अन्तर्गत आने वाली पूँजीयाँ निम्नलिखित है

- संविधिक संचित निधियाँ
- प्रारक्षित निधियाँ
- प्रीमियम (शेयर से प्राप्त)
- आस्तियों की बिक्री से प्राप्त पूँजी।
- घोषित मुक्त निधियाँ आदि

टीयर (Tier II)

ये द्वितीय श्रेणी की पूँजी है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार की पूँजी आती है।

- अघोषित संचित निधियाँ
- पूर्णरूप से चुकता प्राथमिकता शेयर पूँजी
- विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ
- हाइब्रिड ऋण पूँजी प्रपत्र आदि।

पूँजी पर्याप्तता मानक के अन्तर्गत यह निर्धारित किया गया है कि टीयर –II पूँजी किसी भी दशा में, किसी भी समय टीयर–I पूँजी के 100% से अधिक नहीं होनी चाहिए । दूसरा यह कि अधीनस्थ ऋण इन्सटूमेण्ट टीयर –II पूँजी के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

नए निजी क्षेत्र के बैंकों RBI के दिशा –निर्देश

BankExamsToday.Com

नए निजी क्षेत्र बैंकों हेतु RBI के प्रमुख दिशा निर्देश इस प्रकार है

- निजी क्षेत्र के साथ, सार्वजनिक कम्पनियाँ व गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ भी निजी बैंक हेतु आवेदन कर सकती है।
- प्रवर्तक कम्पनी का कारोबार मॉडल बैंकिंग मॉडल से अलग नहीं होना चाहिए। न्यूनतम चुकता पूँजी 'र' 500 करोड़ होनी चाहिए।
- पहले 5 वर्षो में विदेशी हिस्सेदारी अधिकतम 48 प्रतिशत हो सकती है।
- बैंकों को अपनी 25 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण इलाके में स्थापित करनी होगी।

इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र बैंक को भी स्थापित करने की अनुमति केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है। स्थानीय क्षेत्र बैंक वे हैं जो क्षेत्रीय संसाधनों का विदोहन कर क्षेत्र विशेष की साख सम्बन्धों आवश्यकताओं को पूरा करते है। अब निजी प्रवर्तक पूँजी 'र' 5 करोड़ है और उसमें प्रवर्तकों की शेयर धारिता कम से कम 'र' 2 करोड़ हो।

नए निजी बैंक केवल पूर्ण स्वामित्व वाली गैर–संचालित होल्डिंग कम्पनी (Non-Operative Holding Company NOHC) के जरिए ही स्थापित किए जा सकेंगे। होल्डिंग कम्पनियों को बैंक में न्यून्तम 40 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी रखनी होगी। इसे पाँच वर्ष तक बेचा नहीं जा सकेगा। चालीस प्रतिशत से अधिक इक्विटी हिस्सेदारी होने पर होल्डिंग कम्पनी को लाइसेन्स मिलने की तिथि से दो वर्ष के भीतर उसे घटाकर न्यूनतम सीमा तक लाना होगा।

बैंकिंग नियमन सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिनियम (Important Acts related to Banking Regulation)

बैंकिंग नियमन अधिनियम , 1949

इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य, बैंको को मजबूत बनाने एवं उन पर समुचित नियन्त्रण रखने से सम्बन्धित था। 16 मार्च , 1949 से यह पूरे देश में लागू हुआ और वर्ष 1965 तक इसमें कई बार संशोधनों की आवश्यकता पड़ी।

इस अधिनियम की महत्त्वपूर्ण विशेषता यह रही कि इसने भारतीय रिजर्व बैंक के व्यापारिक बैंकों पर नियन्त्रण को विस्तृत व सुदृढ़ कर दिया, साथ ही इस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। इस अधिनियम में बैंकों के कार्यो पर विस्तृत चर्चा की गई है और उनके प्रबन्धन से सम्बन्धित व्यापक नियम बनाए गए। लाभांश , शाखा–विस्तार, ऋण, कोष , लाइसेन्स और खातों पर भी नियम बनाए गए।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम , 1955

BankExamsToday.com

भारतीय संसद द्वारा पारित इस अधिनियम द्वारा इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार, ग्रामीण एवं अर्द्ध –शहरी इलाकों तक होने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम , 1968

बैंकों के राष्ट्रीयकरण एवं सामाजिक नियन्त्रण की अवधारण इस अधिनियम का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है । इस अधिनियम में बैंक, किसी प्रकार एवं किन उद्योगों के लिए कर्ज देंगे यह निश्चित किया गया। साथ ही आर्थिक एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में बैंकों की भूमिका को भी स्पष्ट किया गया।

Important Facts

- ऐसी बैंकिंग व्यवस्था जिसमें बैंक अपनी शाखा खोले बिना सेवाएँ प्रदान करता है, शाखा रहित बैंकिंग कहलाती है।
- जब कॉमर्शियल बैंक अपने कार्य के अलावा औद्योगिक इकाइयों के दीर्घकालीन वित्तीयन के कार्य भी सम्पन्न करें तो इसे **यूनिवर्सल बैंकिंग** कहते है।
- जून, 1991 में भारत में पी वी नरसिंह राव सरकार के सत्ता ग्रहण के पश्चात् अपनाई गई नीति के तहत उदारीकरण का प्रारम्भ 24 जुलाई, 1991 को प्रारम्भ हुआ।

नवीन / प्रवर्तक बैंकिंग (प्रणालीगत सुधार) (Innovative Banking)

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने भी अब बैंकिंग क्षेत्र में नवाचारी (Innovative) गतिविधियों को प्रोंत्साहन देना प्रारम्भ किया है। इन गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है

अपने ग्राहक को जानिए (Know Your Customer, KYC)

अपने ग्राहक को जानिए दिशा–निर्देशों का उपयोग ग्राहक पहचान प्रक्रिया के लिए किया जाता है। इसमें खातों के हितार्थी स्वामी की सही पहचान, निधि के स्त्रोत, ग्राहक के उद्योग का स्वरूप, ग्राहक के कारोबार के सम्बन्ध में खाते के परिचालन में उचितता इत्यादि शामिल है, जिससे बैंकों को विवेकसम्मत जोखिम प्रबन्धन से मदद मिलती है।

KYC के तहत बैंक द्वारा माँगें जाने वाले दस्तावेज व्यक्तियों के खाते के सम्बन्ध में

विधिक नाम और	पासपोर्ट, पैनकार्ड, पैननकार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, ड्राइविंग
प्रयोग में लाए	लाइसेंस, पहचान–पत्र (बैंक की सन्तुष्टि की शर्त
जाने वाला अन्य	पर) बैक की सन्तुष्टि के लिए मान्यता प्राप्त
नाम	सरकारी प्राधिकारी या सरकारी कर्मचारी पहचान तथा निवास को सत्यापित करते हुए पत्र

BankExamsToday.Com

सही स्थायी पता टेलीफोन बिल, बैंक खाता विवरण, किसी मान्यता प्राप्त सरकारी प्राधिकरण से पत्र, बिजली का बिल, राशन कार्ड , नियोक्ता का पत्र (बैंक की सन्तुष्टि की शर्त पर) ऐसा कोई भी एक दस्तावेज पर्याप्त है जो बैक को ग्राहक की जानकारी के सम्बन्ध में स्नतुष्टि प्रदान करें

KYC सम्बन्धी नए दिशा–निर्देश

के वाई सी से सम्बन्धित नए दिशा–निर्देश निम्नलिखित है

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैक ने बैको के द्वारा अपने ग्राहकों की पहचान हेतु कराए जा रहे केवाईसी (Know Your Customer, KYC) प्रक्रियाओं को पूरा करने में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों से निपटने के लिए के वाई सी मानदण्डों से संशोधन किया। आर बी आई द्वारा इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश 23 जुलाई, 2013 को जारी किए।

म्यूचुअल बैकिंग (Mutual Banking)

वर्तमान समय में म्यूचुअल फण्ड वितरण तथा रिटेल बैंकिंग सुविधा व्यापारिक बैंकों की सामान्य क्रियाओं का एक महत्त्वपूर्ण भाग बन गया है। आजकल रिटेल बैंकिंग की प्रगति हुई है, इसलिए बैंकों तथा म्यूचुअल फण्ड के बीच गठबन्धन (Alliances) दिन–प्रतिदिन हो रहे है।

इसके अन्तर्गत म्यूचुअल फण्ड ग्रहकों को एक विशिष्ट क्रेडिट कार्ड दे देते है जिसके द्वारा ग्राहक किसी स्कीम के तहत म्यूचुअल फण्ड की निर्धारित सीमा के भीतर बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकता है। ग्राहकों को बैंक तथा म्यूचुअल फण्ड की सुविधा को अधिकतक करना ही म्यूचुअल बैंकिंग की आधारभूत मान्यता है।

उद्यम पूँजी (Venture Capital)

ऐसी परियोजनाएँ जो नई तकनीक वस्तुओं से सम्बन्धित होती है पर उसके प्रोत्साहक के पास परियोजना शुरू करने हेतु पर्याप्त वित्तीय स्त्रोत नहीं होते, ऐसी स्थिति में इस प्रकार की परियोजनाओं का वित्त पोषण उद्यम पूँजी के माध्यम से किया जाता है, जो कम्पनी के प्रारम्भ में ही पूँजी निवेश के रूप में किया जाता है।

माइक्रो फाइनेन्स (Micro Finance)

लघुवित अथवा माहक्रो फाइनेन्स उन लोगों को ऋण मुहैया कराती है जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण नहीं देते क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी या बन्धक रखने के लिए कुछ भी नहीं होता।

बैंक सिक्योरिटी के बगैर उन्हें कर्ज देने को तैयार नहीं होते । माइक्रो फाइनेन्स ऐसे ही लोगों को कर्ज देने का उपहार है।

माइक्रो फाइनेन्स कम्पनियों की ओर से इन गरीबों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा भी काफी कम रहती है, इसमें सूद की दर 20 से 40% तक रहती है तथा कर्जे को वसूली 98% तक दिखाई जाती है। यह एक ऐसा वर्ग है, जो हमेशा ही सरकारी बैंकों और निजी कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा संचालित कर्जे की योजनाओं से बाहर रहा है।

फैक्टरिंग (Factoring)

'फैक्टर' शब्द का प्रयोग एक कमीशन एजेण्ट के लिए होता है, जो ग्राहक को निधियाँ उपलब्ध तो कराता ही है पर साथ ही खातों का प्रबन्धन, ऋण की वसूली तथा ऋणों के चुकता न होने पर, जोखिम की सुरक्षा भी प्रदान करता है।

लघु उद्योग के क्षेत्र में देय राशि की उगाही को ध्यान में रखकर 'वाघुल समिति' ने 'फैक्टरिंग सेवाओं' को प्रारम्भ करने सम्बन्धी अनुशंसा की। 'कल्याण सुन्दर समिति' ने भारत में फैक्टरिंग सेवाओं की व्यावहारिकता स्वीकार की है।

इस्लामिक बैंकिंग (Islamic Banking)

भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल में भारत के पहले इस्लामिक बैंक को खोलने सम्बन्धी हरी झण्डी अगस्त, 2013 में दी थी।

चूँकि इस्लाम धर्म में रीबा यानी ब्याज लेने को पाप माना जाता है और ब्याज लेने व देने वाले, दोनों ही इस्लाम की नजर में गुनहगार है। इस्लामिक बैंकिंग की अवधारणा इसी विश्वास पर काम करती है और यह बैंक इस्लामिक कानूनों (शरिया) के अनुसार लेन देन करते है। परम्परागत बैंकों के विपरीत इस्लामिक बैंकों में ब्याज नहीं लिया जाता है और कर्ज लेने के लिए सम्पति भी गिरवी नहीं रखनी पड़ती है।

इस्लामिक बैंक की कार्य प्रणाली

इस्लामिक बैंक कर्जदार को होने वाले मुनाफे से एक छोटी रकम लेते हैं जो इनके परिचालन खर्च में काम आती है। परिचालन खर्च से ज्यादा पैसा आने पर वह रकम बैंक के हिस्सेदारों में बाँट दी जाती है और कर्जदारों से ली जाने वाली रकम कम कर दी जाती है।

इस्लामिक बैंकों के मुनाफा कमाने का दूसरा तरीका यह है कि बैंक की रकम का इन्श्योरेन्स, म्यूचुअल फण्ड, आधारभूत ढाँचे, विनिर्माण जैसे विकासात्मक कार्यो में निवेश किया जाता है।

इस्लामिक बैंकिंग के इस ब्याज रहित कारोबार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अनिश्चित व जोखिमपूर्ण जगहों पर पैसा नहीं लगाया जाता है। सम्बन्धित देश के केन्द्रीय विनियामक बैंकों के अलावा इसलामी धार्मिक स्कॉलरों का समूह इन बैंकों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है।

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग (Electronic Banking)

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध कराना इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इस समय बैंकिंग विकास का स्तम्भ माना जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के प्रमुख संघटक

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अन्तर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है **टेली बैकिंग** (Teke Banking) इसमें ग्राहक का परिसर पीएसटीएन (Public Switched Telephone Network) लाइनों, नियमित

टेलीफोन लाइनों और मॉडमों के जरिये शाखा से जुड़ा होता है। स्वयं अपने कार्यालय या डेस्क से ही सूचनाओं को प्राप्त करने की सामर्थ्य के कारण ग्राहक को भी सुविधाएँ उपलब्ध होती है।

पी सी बैंकिंग या होम बैंकिंग (PC Banking or Home Banking) इसके अन्तर्गत ग्राहक घर बैठे ही अपेक्षित राशि निकालने या जमा करने आदि के लिए बैंक को ही कम्प्यूटर पर आदेश दे सकते है।

टेलिफोन द्वारा भुगतान (Payment by Telephone) यह प्रणाली आपको अपनी वित्तीय संस्थाओं को टेलीफोन के जरिये आपके बिल के भुगतान व विभिन्न खातों में निधियों के अन्तरण का अनुदेश देने की सुविधा देती है।

मेबाइल बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें मोबाइल फोन या किसी अन्य मोबाइल युक्ति के प्रयोग के द्वारा किसी ग्राहक के खाते के साथ जोड़कर वित्तीय व्यवहार करते है। मोबाइल बैंकिंग के लिए इण्टर बैंक मोबाइल भुगतान सेवा से जुड़े मोबाइल फोन सहित बैंक में खाते की आवश्यकता होती है। एस एम एस बैंकिंग वन टाईम पासवर्ड द्वारा संचालित होती है।

डाइरेक्ट जमा प्रणाली (Direct Deposit System) इसके माध्यम से आप अपने विशेष जमा, जैसे वेतन चेक, कमीशन चेक, पेंन्शन चेक आदि नियमित रूप से जमा कर सकते है।

इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण प्रणाली (Electronic Reserve Transfer System) इसके अन्तर्गत इस प्रकार की भुगतान प्रणालियों में लिखित चेक के बिना भी एक खाते से दूसरे खाते में धन अन्तरित किया जा सकता है।

डाइरेक्ट क्रेडिट (Direct Credit) इसमें ग्राहक सीधे पहले से धनराशि निकालने के लिए बैंक को प्राधिकृत कर सकते हैं ताकि आपके आवर्ती बिल, जैसे बीमा किश्त आदि का स्वतः भुगतान होता रहे।

स्मार्ट कार्ड व क्रेडिट कार्ड (Smart Card and Credit Card) यह वास्तव में एक सूक्ष्म कम्प्यूटर होता है जो कार्ड के आकार का होता है। इसमें कार्डधारक के बैंक खाते से सम्बन्धित जानकारी रहती है। इसकी सहायता से कहीं भ्झी लेन–देन किया जा सकता है अर्थात् यह एक इलेक्ट्रॉनिक पर्स है।

इण्डियन फिनांशियल नेटवर्क (Indian Financial Network) भारतीय वित्तीय नेटवर्क जो कि सृहद् आधारित नेटवर्क है, वो सेट प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है।

इण्टरनेट बैंकिंग (Internet Banking) इण्टरनेट बैंकिग स्वयं लक्ष्य नहीं है। परन्तु यह बैंकों के लिए ऑनलाइन लेन–देन सेवाएँ प्रदान करने तथा उनकी पूर्ति का एक साधन मात्र है। यह पारस्परिक बैंकिंग से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के विपणन का क्रान्तिकारी परिवर्तन है। इण्टरनेट सुविधा होने से ऑनलाइन बैंकिंग अब भारत में भी होने लगी है।

ए टी एम के विभिन्न प्रकार (Types of ATM)

BankExamsToday.com

ऑन–साइट ए टी एम (On Site ATM) इन ए टी एम की स्थापना बैंक शाखा के प्रांगण में की जाती है, ताकि ग्राहकों द्वारा बैंक शाखा और ए टी एम दोनों का प्रयोग किया जा सके।

ऑफ–फाइट ए टी एम (Off Site ATM) इन ए टी एम की स्थापना स्टैण्ड अलोन आधार पर की जाती है। इन ए टी एम के आस–पास बैंक शाखा नहीं होती है। इन ए टी एम की स्थापना उन भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करने के लिए की जाती है, जहाँ बैंक की कोई शाखा नहीं है।

ब्राउन लेबल ए टी एम (Brown Level ATM) इन ऑटोमेटिक टेलर मशीनों का हार्डवेयर और पट्टा सेवा प्रदाता के स्वामित्व में होता है, लेकिन नकदी प्रबन्धन और बैंकिंग नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी उस प्रायोजक बैंक द्वारा प्रदान की जाती है जिसका ब्राण्ड, ए टी एम पर प्रयोग किया जाता है। ब्राउन लेबल ए टी एम, बैंक के स्वामित्व वाले ए टी एम और ह्वाइट लेबल ए टी एम के बीच का एक विकल्प होता है।

ह्वाइट लेबल ए टी एम (White Level ATM) इन ऑटोमेटिक टेलर मशीनों का स्वामित्व और संचालन गैर–बैंकिंग संस्थाओं के अन्तर्गत आता है। किसी भी बैंक का ग्राहक, एक सेवा शुल्क का भुगतान करके, ह्वाइट लेबल ए टी एम से धन निकाल सकता है। ह्वाइट लेबल ए टी एम पर किसी भी बैंक का लोगो नहीं होता है। भारत के प्रथम ह्वाइट लेबल ए टी एम की स्थापना कम्पनी नें, मुम्बई के निकट चन्द्रपाड़ा नामक स्थान पर की है।

बैंकिंग लोकपाल याजना (Banking Ombudsman Scheme)

बैंकिंग ऑम्बुड्समैन योजना 14 जून, 1995 से प्रारम्भ हुई है। यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक के नियन्त्रण और देख–रेख में काम करती है। विवादों को जल्दी और कम खर्च में निपटाने की कानूनी शिक्तियों के साथ बैंकिंग ऑम्बुड्समैन एक स्वतन्त्र संस्था है। रिजर्व बैंक ने पूरे देश में 15 बैंकिंग ऑम्बुड्समैन नियुक्त किए हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य ज्यादा कानूनी पेचीदगियों के बिना शिकायतों का जल्दी निपटारा सुनिश्चित करना है। कोई भी ग्राहक जिसकी शिकायत का बैंक द्वारा सन्तोषजनक समाधान न किया गया हो, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास जा सकता है।

3 फरवरी, 2009 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की सलाह से बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम वर्ष 2006 को पुनः संशोधित कर दिया गया है। शिकायतों के नए कारणों को शामिल करने के लिए योजना का कदायरा बढ़ा दिया गया है हालांकि यदि शिकायतों के निर्णय ग्राहक सन्तुष्ट नहीं हो तो अपनी शिकायत को RBI के उप–गवर्नर के सामने रख सकते है।

बैकिंग लोकपाल योजना के दायरे में आने वाली शिकायतें निम्न प्रकार हैं

- क्रेडिट काड्र्स से सम्बन्धित शिकायतें।
- पेंशन से सम्बन्धित शिकायतें।
- बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा सीधे बेची गई सुविधाओं सहित, वादे के मुताबिक सेवाएँ प्राप्त न होने से सम्बन्धित शिकायतें।

- किसी बैंक द्वारा अपनाए गए उचित व्यवहार कोड का पालन न करने सम्बन्धी शिकायतें।
- चेकों, ड्रॉफ्टों, बिलों इत्यादि का भुगतान न करना अथवा चेकों के भुगतान या कलेक्शन में अनुचित देरी।
- अन्य पार्टियों द्वारा हस्तान्तरित धन का भुगतान न करना या देर से भुगतान करना।
- ड्राफ्ट्स, पे–ऑडर्स या बेंकर्स चेक्स का जारी न करना या देर से जारी करना।
- निर्धारित कार्य समय का पालन न करना।
- भारत में खाताधारी अनिवासी भारतीयों की विदेश से हस्तान्तरित धन, जमाओं तथा बैंक से सम्बन्धित अन्य शिकायतें।
- ग्राहक को बिना पर्याप्त पूर्व सूचना दिए बैंक द्वारा प्रभार लगा देना।
- बैंकों द्वारा रिकवरी एजेण्टों की नियुक्ति के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों का पालन न करना।
- बैंकिंग या अन्य सेवाओं से सम्बन्धित रिजर्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई अन्य मामला।

बैंकिंग क्रियान्वयन एवं नियन्त्रण बोर्ड

सरकार द्वारा बैंकों की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई है, जोकि न केवल बैंक के कार्यो का निरीक्षण करती है वरन् उन पर नियन्त्रण भी रखती हैं ।

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (Board for Financial Supervision)

BFS की स्थापना वर्ष 1994 में, भारतीय रिजर्व बैंक के अन्तर्गत हुई। यह बोर्ड परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण, आय अभिज्ञान, ऋण–प्रबन्धन, पूँजी पर्याप्तता आदि से सम्बन्धित नियमेां के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। वर्ष 1997 से बोर्ड द्वारा 'केमल्स प्रणाली' के आधार पर वार्षिक वित्तीय निरीक्षण प्रारम्भ किए गए है।

C Capital Adequacy

A Asset Quality

M Management

E Earning

L Liquidity

S System of Corporal

ऋण वसूली न्यायाधिकारण (Debt Recovery Tribunal)

बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए ऐसे ऋणों, जो वसूल नहीं हो पा रहे है, की वसूली में तेजी जाने के लिए सरकार ने 8 शहरों, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, बंगलुरू, चेन्नई, गुवाहाटी तथा पटना में ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunals) स्थापित किए है। एक अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) मुम्बई में भी कार्यरत है। वर्ष 1994 में ऐसा पहला न्यायाधिकरण कोलकाता में स्थापित किया गया था।

न्यायाधिकरण का मुख्यालय	**स्थापना**	**न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र**
ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण मुम्बई	12 जुलाई, 1994	भारत के समस्त ऋण वसूली न्यायाधिकरण
ऋण वसूली न्यायाधिकरण		
कोलकाता	27 अप्रैल, 1994	पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह
दिल्ली	5 जुलाई, 1994	दिल्ली
जयपुर	30 अगस्त, 1994	राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा चण्डीगढ़
बंगलुरू	30 नवम्बर, 1994	कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेष
अहमदाबाद	21 दिसम्बर, 1994	गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव
चेन्नई	4 नवम्बर, 1995	तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी
गुवाहाटी	7 जनवरी, 1997	असोम तथा समस्त पूर्वोत्तर राजय
पटना	24 जनवरी, 1997	बिहार, ओडिशा
जबलपुर	7 अप्रैल, 1998	मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश

बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी नवाचार से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रणालियाँ (तकनीकी सुधार)

NEFT (National Electronics Fund Transfer)

BankExamsToday.Com

यह देश में Internet के माध्यम से फण्ड स्थानान्तरण करने का तरीका है। इसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति, फर्म या कम्पनी एक बैंक शाखा से दूसरी किसी बैंक या उसी बैंक की शाखा में किसी व्यक्ति, फर्म या कम्पनी के खाते में पैसा ट्रॉसफर किया जा सकता है। NEFT के अन्तर्गत 'र' 200000 तक राशि एक बार में transfer की जा सकती है।

NEFT के अन्तर्गत–बिना स्वयं का उस बैंक में खाता होते हुए भी, नकद राशि जमा कराने पर दूसरनी बैंक की शाखा में पैसा अन्तरण किया जा सकता है। इसके लिए पैसा जमा कराने वाले व्यक्ति को अपना पहचान प्रमाण देना होगा।

RTGS (Real Time Gross Settlement)

इस System में एक बैंक से दूसरे बैंक में फण्ड का स्थानान्तरण real time में एवं gross basis पर होता है। Real time का अर्थ है, इसमें fund transfer तुरन्त होता है बिना किसी समयान्तराल के होता है। Gross settlement का अर्थ है किसी अन्य transaction के साथ RTGS का कोई netting या link नहीं होता है। एक बार प्रक्रिया होने के बाद यह अन्तिम व अपरिवर्तनीय माना जाता है। RTGS द्वारा लेने–देने के लिए न्यूनतम सीमा 'र' 2 लाख निर्धारित है।

MICR (Magnetic link Character Recognition Code)

यह चेक बुक (cheque book) के नीचे के हिस्से पर छपा रहता है। MICR के अक्षर विशेष प्रकार की लिखावट में होते हैं और इसमें चुम्बकीय स्याही का प्रयोग होता है। शाखा का अलग MICR नम्बर होता है। MICR में संख्याएँ होती है। प्रथम तीन अंक करते है। अगले तीन अंक बैंक कोड को तथा अन्तिम तीन अंक बैंक शाखा कोड को व्यक्त करते है। बैंकों के तीव्र गति से भुगतान की प्रणाली में MICR का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

CTS (Cheque Transaction System)

वस्तुतः ऑनलाइन चेकों की क्लीयरिंग का ऐसा तरीका है, जिसमें बहुत शीघ्रता से Cheques की Clearing हो जाती है। इसके अन्तर्गत चेक ग्रहण करने वाले बैंक द्वारा चेक का छाया चित्र एवं MICR (Magnetic link Character Recognition) डाटा को लेकर उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्बन्धित बैंक को भेजा जाता है। इस तरीके में Cheque को अमूर्त रूप (image) से सम्बन्धित बैंक को भेजा जाता है और साथ ही अन्य आवश्यक सूचनाएँ, जैसे– MICR Field, Date of presentation, Name of presenting Bank etc. के साथ भेजा जाता है। इस प्रणाली में चेक के निपटारा में बहुत कम समय लगता है तथा सत्यापन एवं मिलान भी शीघ्र एवं अधिक उचित तरीके से हो जाता है। तथा गलती की सम्भावना कम रहती है। इस System में खर्चा भी कम होता है।

IFSC (Indian Financial System Code)

इसका उपयोग RTGS,NEFT इत्यादि प्रणालियों में होता है। इसका विकास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है। इसमें 11 कैरेक्ट्र्स होते है। प्रथम चार कैरेक्टर, बैंक को प्रदर्शित करते है। पाँचवाँ कैरेक्टर शुन्य है, जो भविष्य में उपयोग आने के लिए रखा गया है। अन्तिम छः कैरेक्टर बैंक की शाखा को इंगित करते है।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग सुधार के प्रमुख प्रयास (Major Efforts of International Banking Reform)

बेसल मानक (Basel Standard)

स्विट्जरलैण्ड के शहर बेसल में वर्ष 1980 में वैश्विक स्तर पर बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के सन्दर्भ में बेसल कमेटी ऑन बैकिंग सुपरविजन (Basel Committee on Banking) ने कुछ मानदण्डों का निर्धारण किया। इन्हीं को 'बेसल मानक' के नाम से जाना गया। वर्ष 1980 में हुए इस सम्मेलन में बैंकों हेतु जो मानदण्ड निर्धारित किए गए, मुख्यतः वे 'न्यूनतम पूँजी अपेक्षा' एवं 'ऋण जोखिम' से सम्बन्धित थे। वर्ष 2004 में पुनः बेसल– II मानकों का निर्धारण किया गया, जिसका मुख्य बल अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय जोखिमों से निपटने पर था। अतः इस सन्दर्भ में यह निर्धारित किया गया कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाएँ अपने पास एक निश्चित धनराशि सुरक्षित रखेंगे। इसी प्रयास को जारी रखते हुए दिसम्बर, 2010 में बेसल–III मानकों का निर्धारण किया गया।

बेसल मानक व भारत

भारत ने बेसल मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लगातार प्रयासरत रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के तहत कार्यरत सभी बैंकों ने बेसल–II मानकों का अनुपालन कर लिया है।

बासेल – III मानक, भारत में अप्रैल, 2013 से लागू हो गए है, जो चरणवद्ध ढंग से मार्च , 2018 तक पूर्ण रूप से लागू हो जाएँगे और इसके लिए भारत सरकार ने बैंकों के पूँजी आधार में वृद्धि हेतु समय–समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना प्रारम्भ कर दिया है।

सोसाइयटी फॉर वर्ल्ड इण्टर बैंक फिनंसियल टेलीक्म्यूनिकेशन (SWIFT)

SWIFT एक संस्था है, जो एक नेटवर्क उपलब्ध कराती है जिसके माध्यम से वित्तीय संस्थाएँ वैश्विक स्तर पर एक सुरक्षित, भरोसेमंद और मानकीकृत वातावरण में वित्तीय लेनदेन सम्बन्धी सूचनाओं का आदान–प्रदान का पाती है। SWIFT वित्तीय संस्थाओं को सॉफ्टवेयर और सेवाओं का विक्रय भी करती है। अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय इण्टर बैंक मैसेज SWIFT नेटवर्क का प्रयोग करते है। SWIFT की स्थापना 1973 में कॉपरेटिव सोसायटी के रूप में बेल्जियम में की गई थी। SWIFT के वर्तमान चेयरमैन यावर शाह (पाकिस्तान) है।

वणिज्यिक बैंक (Commercial Bank)

वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्श्चात् बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दी गई ऋण की मात्रा में प्र्याप्त बढ़ोतरी हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या में भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ।

वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण विभिन्न अवधियाँ ज्यादातर अल्पकालीन प्रवृति के होते है। इसके अतिरिक्त ट्यूबवैल, ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, पशु, हल आदि खरीदने भूमि सुधार आदि के कलिए मध्यकालीन ऋण भी प्रदान करते है। ये ऋण बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

भूमि विकास बैंक (Land Development Bank)

भूमि विकास बैंक की स्थापना किसानों की दीर्घकालीन ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई। इस प्रकार का प्रथम बैंक वर्ष 1929 में मद्रास में स्थापित किया गया था।

ये जायदाद को जमानत पर रखकर ऋण देते हैं । ये द्वि–स्तरीय बैंक है। शीर्ष स्तर पर केन्द्रीय भूमि विकास बैंक (Central Land Development Bank) होता है, जोकि प्रत्येक राज्य में एक होता है तथा उसके नीचे प्राथमिक भूमि विकास बैंक (Primary Land Development Bank) होते है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर , 1975 को की गई। एक साथ पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। बाद में देश के अन्य भागों में इसका विस्तार किया गया। यह बैंक विक्किम व गोवा के अलावा सभी राज्यों में कार्यरत है।

दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई।

सितम्बर, 2005 तक 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत थे और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में गठित किए गए कार्यकारी दल (केलकर समिति) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल ,19987 के बाद कोई नया बैंक नहीं खोला गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूँजी में केन्द्र व राज्य सरकार का हिस्सा 50% व 15% क्रमशः होता है। बाकी 35% हिस्सा प्रवर्तक बैंक का होता है।

प्रथम पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(i) मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)
(ii) गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)
(iii) भिवानी (हरियाणा)
(iv)जयपुर (राजस्थान)
(v) माल्दा (पश्चिम बंगाल)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सशक्त बनाने के विचार से इन्हें वर्ष 2005 में चरणबद्ध तरीके से इन बैंकों को एक–दूसरे में मिलाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। तद्नुसार 31 मार्च, 2010 को इन बैंकों की संख्या 82 (46 विलयीकृत तथा 36 पृथक्) हो गई।

लीड बैंक योजना

इस योजना का प्रारम्भ वर्ष 1969 में ग्रामीण क्षेत्र को और अधिक ऋण सुविधाएँ प्रदान कराने के लिए किया गया। इस योजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंक की किसी अर्द्धशहरी या ग्रामीण शाखा को गाँवों के समूह के किसी विशेष क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंप दी जाती हे। यह बैंक इस क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है।

इस तरह अलग–अलग क्षेत्र अलग–अलग बैंकों को सौंप दिए गए है ताकि वे अपने–अपने क्षेत्र में ध्यान दे सकें। इस अवधारणा के पीछे विचार यह है कि इस तरह किसान भी केवल अपने क्षेत्र की अग्रणी बैंक के पास ही जाएँगे।

नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेण्ट (NABARD)

यह बैंक 12 जुलाई, 1982 को अस्तित्व में आया, इसकी स्थापना शिवरमन सिंह समिति की संस्तुति पर की गई। इसकी स्थापना कृषि, लघू उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्पों और गाँवों में अन्य आर्थिक गतिविधियों के संवर्द्धन हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी।

वर्ष 1995–96 से नाबार्ड ग्रामीण ढाँचागत विकास कोष (आर आई डी एफ) के अन्तर्गत ग्रामीण ढाँचागत परियोजनाओं जैसे– PMGSY के अन्तर्गत निर्माण योजना आदि के लिए राज्य सरकारों को वित्त उपलब्ध करा रहा है।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development Fund)

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना का प्रस्ताव ग्रामीण अवसंरचना क्षेत्र में हो रहे कम निवेश को देखते हुए वर्ष 1995–96 में 'र' 2000 करोड़ की राशि द्वारा किया गया था। इस निधि के लिए भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा योगदान किया गया ताकि वे कृषि उधार सम्बन्धी अपने शुद्ध बैंक उधार में 18% के लक्ष्य में कमी को पूरा कर सके।

इस निधि की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों को उन मदों में लाभ पहुँचाना है। जो राशि के अभाव में रूके पड़े है। इन मदों में ग्रामीण सड़क, पुल, वाटर शेड विकास, बाढ़ संरक्षण, शीत भण्डार आदि क्षेत्र शामिल है।

प्राथमिक क्षेत्रक उधार नीति (Primary Sector Lending Policy. PSL)

सुभेद्य क्षेत्रों को पर्याप्त सांस्थानिक ऋण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि बैंक अपने अग्रिमों का कम–से–कम 40% हिस्सा प्राथमिक क्षेत्रों को उधार दे।

प्राथमिक क्षेत्रों में मोटे तौर पर कृषि , लघु उद्योगों, अपेक्षाकृत कमजोर वर्गो , निर्यातों, शिक्षा तथा स्वयं–सहायता समूहों इत्यादि के लिए अग्रिम शामिल है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रक उधार (पीएसएल) सम्बन्धी संशोधित दिशा–निर्देशों में 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों को आदेश दिया गया है कि वे अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीपी) या तुलन–पत्रेतर देनदारियों (ओबोई) की समतुल्य राशि के 40% हिस्से का ऋण , जो भी उच्चतर है, प्राथमिक क्षेत्र को आवण्टित करें।

इसके अन्तर्गत एएनबीपी या ओबीई के ऋण समतुत्य राशि के 18% तथा 10% का ऋण क्रमशः कृषि तथा अपेक्षाकृत कमजोर वर्गो को उधार देने के लिए आदेशित किए गए है।

20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए, पीएसएल का लक्ष्य ए एन वी पी या ओ वी ई का ऋण समतुत्य राशि, जो भी अधिक हो, का 32% है, विदेशी बैंकों को अपना पीएसएल लक्ष्य हासिल करने के लिए अप्रैल, 2013 में आरम्भ से 5 वर्ष का समय दिया गया है।

भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम

(Industrial Credit and Investment Corporation of India. ICICI)

स्थापना वर्ष 1955

उद्देश्य व कार्य निजी क्षेत्र के लघु व मध्यम उद्योगों के विकास में सहायता करना।

यह वर्तमान उद्योगों के विस्तार व आधुनिकीकरण में सहायता करता है तथा प्रबन्धीय व तकनीकी सहायता सम्बन्धी सलाह देता है।

निजी स्त्रोतों से लिए एक ऋण की गारण्टी देना शेयर पूँजी में पैसा लगाना तथा शेयर व ऋण–पत्रों के निर्गमों में हामी भरना। यह विदेशी मुद्रा के रूप में भी ऋणों को मंजूर कर सकता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड (Industrial Development Bank of India Ltd.IDBI)

स्थापना वर्ष 1994 में रिजर्व बैंक के अनुषंगी बैंक के रूप में, वर्ष 1976 में स्वतन्त्र (भारत सरकार के स्वामित्व में)

उद्देश्य व कार्य औद्योगिक उद्यमों को वित्तीय सहायता तथा औद्योगिक विकास के कार्य में लगी संस्थाओं कों बढ़ावा देना, यह बड़ और मझोली औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

अक्टूबर, 2004 में इसका निगमीकरण कर इसे वाणिज्यिक बैंक कम्पनी बना दिया गया है। सिडबी की स्थापना के पश्चात् लघु उद्योंगों को वित्तीय सहायता से इसको अलग कर दिया गया है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (Unit Trust of India. UTI)

BankExamsToday.com

स्थापना वर्ष 1964

सार्वजनिक क्षेत्रक में अब यह एक निजी क्षेत्र की कम्पनी हो गई है।

2001 में US-64 के धराशायी होने के पश्चात् इसका विभाजन UTI-I व UTI-II में किया गया, जिनका परिचालन SBI ,LIC, BOB, व PNB द्वारा किया जा रहा था। बाद में इन चारों ने सरकार को पूरा मूल्य चुका कर UTI –म्यूचुअल फण्ड के प्रबन्धन के साथ–साथ इसका स्वामित्व भी हासिल कर लिया। (2005) UTI-MF में इन चारों की बराबर की हिस्सेदारी है। वर्ष 2007 में UTI बैंक का नाम एक्सिस बैंक लिमिटेड हो गया है। यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है।

आयात–निर्यात बैंक (Export- Import Bank, EXIM)

स्थापना वर्ष 1982

उद्देश्य व कार्य देश में विदेशी व्यापार के वित्तपोषण, उसकी सुविधा प्रदान करने और संवर्द्धन के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। साथ ही यह उन सभी वित्तीय संस्थाओं के मध्य समन्वय का भी कार्य करता है, जो वस्तुओं व सेवाओं के आयात व निर्यात हेतु वित्त जुटाते है। इसका मुख्यालय मुम्बई में स्थित है, इसके कार्य विदेशों में भी स्थित है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(Small Industriies Development Bank of India. SIDBI)

स्थापना वर्ष 1990, लघु उद्योगों के विकास, वित्त एवं संवर्द्धन के लिए स्मॉल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेण्ट बैंक ऑफ इण्डिया (सिडबी) की स्थापना एक प्रमुख वित्तीय संस्थान के रू‍प में की गई थी।

उद्देश्य व कार्य यह देश में अतिलघु, लघु और मझोले उद्यमों को सीधे सहायता देने के अतिरिक्त, राज्य वित्त निगमों, वाणिज्यिक बैंकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों आदि के जरिए वित्त उपलब्ध कराता है। यह पूर्णतः आई डी बी आई की सहभागी संस्था है।

इसका मुख्यालय लखनऊ में है तथा देशभर में इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं । यह भारतीय मुद्रा के साथ–साथ विदेशी मुद्रा में भी ऋण उपलब्ध कराता है।

गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ (Non Banking Financial Companies)

निजी क्षेत्र में बहुत–सी कम्पनियाँ हैं जो जनता से जमा प्राप्त करती हैं और व्यावसायिक उपक्रमें को दीर्घकालीन वित्त प्रदान करती है। इन कम्पनियों को गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी कहते है।

ऋण स्वीकृत करने के सरल सरीके, लोचपूर्ण एवं त्वरित सेवा के कारण गैर–बैंकिंग वित्त संस्थाएं दीर्घकालीन वित्त के महत्वपूर्ण स्त्रोत के रूप में प्रकट हुई है।

NBFCS के प्रमुख कार्य

NBFC के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है

- चूकिं गैर–बैंकिंग कम्पनियां जनता से जनता से जमा स्वीकार करने तथा ऋण प्रदान करने के दो ही कार्य करती है अतः इन्हें बैंकिंग कम्पनी नहीं माना जाता। ये कम्पनियां आकर्षक ब्याज देकर जनता से जाम प्राप्त करती है तथा धन एकत्रित करती है।
- इनके द्वारा थोक व्यापारियों, फुटकर व्यापारियों व लघु पैमाने के उद्योगों तथा स्वरोजगार में लगे लोगों को ऋण वित्त, पटटा वित्त तथा किराया क्रय व्यवसाय, आदि का कार्य करती है।
- NBFCS प्रायः उन क्षेत्रों के लिए ऋण की व्यवस्था करती है, जहाँ ऋण अन्तराल विद्यमान है।
- ऋण स्वीकृत करने के आसान तरीके, जमा पर आकर्षक ब्याज और ग्राहकों को ऋण की आवश्यकता में लोच एवं समय सीमा न होने के कारण हमारे देश में गैर–बैंकिंग वित्त कम्पनियाँ वित्त प्रदान करने की महत्त्वपूर्ण स्त्रोत बन गई है।

NBFCS की भूमिका

- वर्तमान में NBFCs के व्यापारिक लेनदेनों की संख्या तथा मात्रा दोनों में ही पर्याप्त वृद्धि हुई है।
- उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और मोटरकारों के लिए वित्त पोषण करने में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

मुद्रा बाजार (Money Market)

मुद्रा बाजार वित्तीय प्रणाली का एक अंग है, जहां राशियों का लेन–देन होता है। भारतीय मुद्रा–बाजार में अल्पकालीन समय के लिए राशियों को उधार दिया व लिया जाता है। भारतीय मुद्रा–बाजार में लेन–देन नकदी या मुद्रा में नहीं, बल्कि साख प्रलेखों के रूप में होता है। विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा–पत्र, वाणिज्यिक–पत्र, ट्रेजरी बिल आदि साख–प्रलेखों के उदाहरण है।

भारतीय मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक, अन्य वित्त संस्थाएँ व गैर–बैंकिंग वित्त कम्पनियों और वित्तीय संस्थाएँ जैसे–भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया आदि भी शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार की शीर्ष संस्था है, जो देश में मौद्रिक अधिकारीद् है।

भारतीय मुद्रा बाजार के प्रकार

- **संगठित क्षेत्र** (Organised Sector)
- **असंगठित क्षेत्र** (Unorganised Sector)

मुद्रा बाजार से सम्बन्धित प्रतिभूतियाँ

- याचना राशि (Soliciting Funds)
- ट्रेजरी बिल (Treasury Bill)
- वाणिज्य पत्र (Commercial Bill)
- जमा प्रमाण पत्र (Certificate of Deposit)